

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8150/

१९८७

दिनांक: ८-१२-१७

सेवा में

वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल,
रोहतक ।

विषय: Diversion of 0.947 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD B&R Br., Sonipat for widening and strengthening of Rohat to Jatheri road Km. 0 to 3.90 (Road ID 6008), under forest division and District Sonipat, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/28862/2017

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1851 दिनांक 7-11-2017 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.947 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :-

- प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रेजेंट वैल्यू जमा करवाई जाए ।
- प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> के माध्यम से कार्पोरेशन बैंक में राशि जमा करवाने के लिए चालान जनरेट करके अपेक्षित कार्यवाही करवाएगी ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0)

कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

- वन मण्डल अधिकारी, सोनीपत को उनके पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 22-11-2017 के संदर्भ में ।
- Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD B&R Br. Sonipat.